नौएडा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर–6, नौएडा–201301, उ0प्र0
वेबसाईट : www.noidaauthorityonline.com

सार्वजनिक सूचना

शुद्धि पत्र

नौएडा प्राधिकरण के भवन विभाग की योजना कोड सं. 2020–21 (एच)(01) का प्रकाशन दिनांक 18.08.2020 को किया गया जिसके अंतर्गत आवासीय भवन के विभिन्न सैक्ट्रों में पूर्व की योजनाओं में शेष बचे विभिन्न श्रेणी के ''जहां है, जैसा है'' के आधार पर फ्लैटों के पंजीयन हेतु दिनांक 18.08.2020 से 17.09.2020 तक प्रचलन में है। योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं विवरणिका नौएडा प्राधिकरण की वेबसाइट **www.noidaauthorityonline.in** पर उपलब्ध है जिसमें सैक्टर वार एवं श्रेणी वार फ्लैट/भवनों का कुल मूल्य ब्रोशर में ही अंकित है।

वेबसाइट पर उपलब्ध योजना की विवरणिका में विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों/भवनों का कुल मूल्य अंकित है, जिसमें से त्रुटिपूर्ण गणना के कारण एल0आई0जी0 श्रेणी के सैक्टर–52 के भू–तल के भवन/फ्लैट का कुल मूल्य रु0 97,14,865/–, द्वितीय तक के भवन/फ्लैट का कुल मूल्य रु0 82,15,416/– तथा सैक्टर–71 के भवन/फ्लैट का कुल मूल्य रु0 77,67,991/– अंकित हो गया है।

इस क्रम में त्रुटि सुधार करते हुए संशोधित गणना के अनुसार एल0आई0जी0 श्रेणी के सैक्टर–52 के भू–तल के भवन/फ्लैट का संशोधित कुल मूल्य रु0 76,56,540/– द्वितीय तल के भवन/फ्लैट का संशोधित कुल मूल्य रु0 61,57,091/– तथा सैक्टर–71 के भवन/फ्लैट का संशोधित कुल मूल्य रु0 57,09,666/– पढ़ा जाये, इसके अनुसार ही फ्लैट के सापेक्ष पंजीकरण धनराशि 10% एवं आवंटन धनराशि 30% जमा करानी होगी। योजना की अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

(कुमार संजय)
विशेष कार्याधिकारी (भवन)
नौएडा

स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा